राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2508/2025 हरदयाल, सेवानिवृत्त व्याख्याता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. उप निदेशक, माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर जोन, भरतपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, भरतपुर। 5. उप कोष अधिकारी, उप कोष, वैर, जिला भरतपुर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोलोनी, तहसील वैर, जिला भरतपुर। 7. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।	15.04.2025	श्री कैलाश चन्द कटारा, अभिभाषक
2.	2509/2025 खेमचन्द कटारा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, भरतपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर। 5. उप कोष अधिकारी, उप कोष, वैर, जिला भरतपुर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोलोनी, तहसील वैर, जिला भरतपुर।		

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2508/2025 हरदयाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति

दिनांक 02.07.1984 को अध्यापक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 03.06.1989 के द्वारा उसकी सेवाये नियमित की गई तथा दिनांक 30.09.2017 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग के नोटिस दिनांक 29.06.2017 के द्वारा अपीलार्थी को राशि रूपये 1,52,444/– अधिक भुगतान होने के कारण जमा किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुये एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10932/2017 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.08.2024 पारित करते हुये वसूली आदेश को अपास्त किया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के ग्रेच्युटी राशि रूपये 2,99,722/– प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रोक दी गई है तथा इसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रस्तुत करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रोकी गई ग्रेच्युटी राशि अपीलार्थी को दी जावे और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी भुगतान किया जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलों के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की

अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2508/2025 हरदयाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2509/2025 खेमचन्द कटारा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष